



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांकः—

दिनांकः— / 09 / 18

सार्वजनिक सूचना

चूंकि राज्य सरकार आगरा विकास प्राधिकरण की महायोजना—2021 के अन्तर्गत परिक्षेत्रीय योजना जोन—6 में संशोधन जैसा कि नीचे अनुसूची में अंकित है करना चाहती है।

अतएव, अब उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित अधिनियम—1974) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या—11 सन् 1973) की धारा—13 के उपधारा—(3) के उपबंधो के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में जनसामान्य से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित की जाती है। सभी आपत्ति एवं सुझाव उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण को संबोधित और लिखित रूप से तीन प्रतियों में प्रेषित किए जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस सूचना के समाचार में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर प्राप्त होंगे।

अनुसूची

क्र०सं०.	ग्राम का नाम	तहसील/जिला	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेर में)	जोनल प्लान जोन—6 के अनुसार भू—उपयोग	प्रस्तावित भू—उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1.	बुढाना	तहसील—सदर, जिला—आगरा	846	1.5920	कृषि	आवासीय
2.	बुढाना	तहसील—सदर, जिला—आगरा	848	0.5890	कृषि	आवासीय
3.	बुढाना	तहसील—सदर, जिला—आगरा	1024	0.5680	कृषि	आवासीय
4.	बुढाना	तहसील—सदर, जिला—आगरा	1025	0.3570	कृषि	आवासीय
			योग	3.1060		

सचिव

अग्रणी
[Signature]